

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें

इरकॉन के बोर्ड में नियुक्ति पर अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:

1 नियुक्ति

- अ स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा जारी उनके संबंधित आदेश में उल्लिखित ऐसी अवधि के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार होगी, जो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए हैं।
- ब स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
- स स्वतंत्र निदेशक शब्द का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित किया जाना चाहिए।
- द कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यों को देखने के लिए निदेशक मंडल/सीएमडी द्वारा समय-समय पर गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों या किसी अन्य समिति (समितियों) में, और अन्य वैधानिक प्रावधान या कोई अन्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया जा सकता है

2 भूमिका, कार्य और कर्तव्य

स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत निर्धारित धारा 166 और स्वतंत्र निदेशकों की संहिता (परिशिष्ट -1 में संलग्न प्रति) के अनुसार भूमिका, कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होगी।

3 पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति

- अ स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए (या उसके बाद के किसी भी दिन के लिए स्थगित) रु. 30,000/- की बैठक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और बोर्ड द्वारा गठित समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 20,000/- का भुगतान किया जाएगा।
- ब ऊपर बताए अनुसार बैठने की फीस के अलावा, वे वास्तविक यात्रा, होटल और अन्य खर्चों के लिए भी हकदार होंगे:

क. निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की बैठकों या कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने और लौटने में; अथवा

ख. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में कंपनी की किसी साइट/परियोजना का दौरा करना।

4 अधिष्ठापन

स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण और परिचित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधन से ब्रीफिंग और कंपनी द्वारा योजना के अनुसार, जिलमें आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा, जिसमें साइट का दौरा भी शामिल है,

5 ब्याज का प्रकटीकरण और स्वतंत्रता की घोषणा

स्वतंत्र निदेशक निदेशक, सदस्य, अन्य कंपनियों, फर्मों, कॉरपोरेट निकाय आदि में भागीदारी के रूप में अपनी रुचि की प्रकृति का खुलासा करेगा और स्वतंत्रता की घोषणा भी करेगा कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हुए उनकी नियुक्ति के बाद बोर्ड की उनकी पहली बैठक में और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है।

6 समापन

अ स्वतंत्र निदेशक रेल मंत्रालय और/या इरकॉन के निदेशक मंडल को इस्तीफे के कारणों का उल्लेख करते हुए एक लिखित नोटिस देकर, किसी भी समय निदेशक पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

ब स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल रेल मंत्रालय के किसी और आदेश के अधीन है।

7 गोपनीयता

अ एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान हासिल की गई कंपनी के संबंध में सभी जानकारी को गोपनीय माना जाना चाहिए और जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन की पूर्व अनुमति के बिना तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

ब एक निदेशक के रूप में, स्वतंत्र निदेशक इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के निषेध और प्रतिबंधों के अधीन और बाध्य हैं, जैसा कि अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी नियमों के तहत निर्धारित किया गया है। उन्हें सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (समय से संशोधित या प्रतिस्थापित) के विनियम 9(1) के अनुसार इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।

8 दायित्व

लागू कानून के अधीन, आपके कर्तव्यों के किसी भी उल्लंघन के लिए स्वतंत्र निदेशक लागू कानून के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, वे कंपनी द्वारा चूक या कमीशन के ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगे जो आपकी जानकारी में हुए थे, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से, और आपकी सहमति या मिलीभगत से, या जहां आपने लगन से काम नहीं किया है।

9 बीमा

कंपनी ने निदेशकों और अधिकारियों की बीमा देयता पॉलिसी प्राप्त की है।

10 विविध

अ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम अनुमेय सीमा, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के अधीन है।

ब स्वतंत्र निदेशक कंपनी के कर्मचारी नहीं होंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें जारी नियुक्ति पत्र/नियुक्ति पत्र रोजगार का अनुबंध नहीं होगा।

अनसूची IV
[धारा 149(8) देखें]
स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड

संहिता स्वतंत्र निदेशकों के पेशेवर आचरण के लिए एक मार्गदर्शिका है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा इन मानकों का पालन करने और पेशेवर और वफादार तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से स्वतंत्र निदेशकों की संस्था में निवेश समुदाय, विशेष रूप से अल्पसंख्यक

I पेशेवर आचरण के दिशानिर्देश:

एक स्वतंत्र निदेशक करेगा:

- 1 सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के नैतिक मानकों को बनाए रखना;
- 2 अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक कार्य करना;
- 3 कंपनी के हित में प्रामाणिक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का प्रयोग करें;
- 4 सचित और संतुलित निर्णय लेने के लिए अपने पेशेवर दायित्वों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान समर्पित करें;
- 5 बोर्ड के निर्णय लेने में सामूहिक निर्णय से सहमति या असहमति जताते हुए, किसी भी बाहरी विचार की अनुमति नहीं देगा जो समग्र रूप से कंपनी के सर्वोपरि हित में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के उसके अभ्यास को प्रभावित करेगा;
- 6 कंपनी या उसके शेयरधारकों की हानि के लिए या किसी संबद्ध व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना
- 7 किसी भी कार्रवाई से बचना जिससे उसकी स्वतंत्रता का नुकसान हो;
- 8 जहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो एक स्वतंत्र निदेशक को अपनी स्वतंत्रता खो देती हैं, स्वतंत्र निदेशक को तुरंत बोर्ड को तदनुसार सूचित करना चाहिए;
- 9 सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को लागू करने में कंपनी की सहायता करना।

II भूमिका और कार्य:

स्वतंत्र निदेशक करेंगे:

- 1 विशेष रूप से रणनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के मुद्दों पर बोर्ड के विचार-विमर्श पर एक स्वतंत्र निर्णय लाने में मदद करना;
- 2 बोर्ड और प्रबंधन के प्रदर्शन के मूल्यांकन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लाना;
- 3 सहमत लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन के प्रदर्शन की जांच करना और प्रदर्शन की रिपोर्टिंग की निगरानी करना;
- 4 वित्तीय जानकारी की सत्यनिष्ठा पर स्वयं को संतुष्ट करना और यह कि वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रणालियां मजबूत और बचाव योग्य हैं;
- 5 सभी हितधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना;

- 6 हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों को संतलित करना;
- 7 कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के उचित स्तर का निर्धारण और नियुक्ति में एक प्रमुख भूमिका है और जहां आवश्यक हो कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन को हटाने की सिफारिश
- 8 प्रबंधन और शेयरधारक के हितों के बीच संघर्ष की स्थितियों में समग्र रूप से कंपनी के हित में मध्यम और मध्यस्थता।

III कर्तव्य:

स्वतंत्र निदेशक करेंगे

- 1 कंपनी के साथ अपने कौशल, ज्ञान और परिचितता को उचित रूप से शामिल करना और नियमित रूप से अद्यतन और ताज़ा
- 2 जानकारी के उचित स्पष्टीकरण या विस्तार की तलाश करें और जहां आवश्यक हो, कंपनी की कीमत पर बाहरी विशेषज्ञों की
- 3 निदेशक मंडल और उन बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करें जिनके वह सदस्य हैं;
- 4 बोर्ड की उन समितियों में रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लें जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं;
- 5 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास;
- 6 जहां उन्हें कंपनी के संचालन या प्रस्तावित कार्यवाई के बारे में चिंता है, सुनिश्चित करें कि इन्हें बोर्ड द्वारा संबोधित किया गया है और इस हद तक कि उनका समाधान नहीं किया गया है, इस बात पर जोर दें कि उनकी चिंताओं को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त
- 7 कंपनी और बाहरी वातावरण के बारे में खद को अच्छी तरह से सचित रखें जिसमें वह काम करता है;
- 8 अन्यथा उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के कामकाज में गलत तरीके से बाधा नहीं डालना;
- 9 पर्याप्त ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाता है और खुद को आश्वस्त करता है कि वही कंपनी के हित में हैं;
- 10 यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक निगरानी तंत्र है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हित ऐसे उपयोग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं;
- 11 अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट चिंताओं;
- 12 अपने अधिकार के भीतर कार्य करना, कंपनी, शेयरधारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता करना;
- 13 वाणिज्यिक रहस्य, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा प्रकटीकरण बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित या कानून द्वारा

IV नियुक्ति का तरीका:

- 1 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया कंपनी प्रबंधन से स्वतंत्र होगी; स्वतंत्र निदेशकों का चयन करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में कौशल, अनुभव और ज्ञान का उचित संतुलन हो ताकि बोर्ड अपने कार्यों और कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके।
- 2 शेयरधारकों की बैठक में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति को मंजूरी दी जाएगी।
- 3 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए बैठक के नोटिस से जुड़े व्याख्यात्मक बयान में एक बयान शामिल होगा कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और वह प्रस्तावित निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है।

4 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

अ नियुक्ति की अवधि;

ब नियुक्त निदेशक से बोर्ड की अपेक्षा; बोर्ड-स्तरीय समिति (समितियाँ) जिसमें निदेशक से सेवा और उसके कार्यों की अपेक्षा की जाती है;

स इस तरह की नियुक्ति के साथ आने वाली देनदारियों के साथ प्रत्ययी कर्तव्य;

द निदेशकों और अधिकारियों (डी और ओ) बीमा के लिए प्रावधान, यदि कोई हो;

ई व्यवसाय आचार संहिता जिसका कंपनी अपने निदेशकों और कर्मचारियों से पालन करने की अपेक्षा करती है;

फ कार्यों की सची जो एक निदेशक को कंपनी में कार्य करते समय नहीं करनी चाहिए; तथा

ज पारिश्रमिक, आवधिक शुल्क का उल्लेख, बोर्डों और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति और लाभ से संबंधित कमीशन, यदि कोई हो।

5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी सदस्य द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खूली होंगी।

6 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी।

V पुनः नियुक्ति :

स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति निष्पादन मल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

VI इस्तीफा देना या हटाना :

- 1 एक स्वतंत्र निदेशक का इस्तीफा या निष्कासन उसी तरीके से होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 168 और 169 में प्रदान किया गया है।
- 2 एक स्वतंत्र निदेशक जो कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे देता है या हटा दिया जाता है, उसे इस तरह के इस्तीफे या हटाने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक नए स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

- 3 जहां कंपनी अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करती है, भले ही इस तरह के इस्तीफे या हटाने से उत्पन्न रिक्ति को भरने के बिना, जैसा भी मामला हो, एक नए स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रतिस्थापन की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

VII अलग बैठकें:

- 1 गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे;
 - 2 कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे;
 - 3 बैठक होगी:
- अ गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना;
- ब कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करें;
- स कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करें जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से करने के लिए आवश्यक है।

VIII मूल्यांकन तंत्र:

- 1 स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, मूल्यांकन किए जा रहे निदेशक को छोड़कर, संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।
- 2 प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।

नोट: पैराग्राफ II के उप-पैरा (2) और (7) के प्रावधान, पैराग्राफ IV, पैराग्राफ V, पैराग्राफ VII के उप-पैरा (3) के क्लॉज (ए) और (बी) और पैराग्राफ VIII के मामले में लागू नहीं होंगे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी, यदि इन पैराग्राफों में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है या जैसा कि मामला हो सकता है, राज्य सरकारें और ऐसी आवश्यकताओं का